न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 05/2022 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.
छोटेलाल पुत्र श्योबक्स जाति मीना निवासी ग्राम लाहडी का बास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, योजना कियान्वयन इकाई दौसा जरिये परियोजना निदेशक, कार्यालय रावत पैलेस के पास, आगरा रोड दौसा
2. सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन नांगल राजावतान जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री चरण सिंह डोई, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री खेमचन्द शर्मा, मनीष तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम लाहडी का बास के खसरा नंबर 301 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम लाहडी का बास तह० नांगल राजावतान जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 301 स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि के 1/6 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी के हिस्से की उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन में भूमि अवाप्त की गई है। उक्त भूमि में प्राकृतिक पैदावार पांच खजूर के पेड है प्रार्थी के उक्त पांचो खजूर के पेडो को अवाप्त की गई किन्तु प्रार्थी के उक्त अवाप्त किये गये खजूर के पांच पेडो में से केवल मात्र दो पेडो संख्या एन.आर.एफ.टी. 1184 से 1185 के मुआवजा का निर्धारण उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान द्वारा 51,224/–रूपये का किया गया है तथा प्रार्थी के शेष तीन पेडो का कोई मुआवजा न तो निर्धारित किया गया है और ना ही प्रार्थी को अदा किया गया है जो कि कानूनन गलत है। भूमि की अवाप्ति से पूर्व जो ड्रोन से सर्वे किया गया उसमें भी प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि में पांच खजूर के पेड स्पष्ट दिखाई दे रहे है तथा अवाप्ति भी प्रार्थी के उक्त पांचो पेडो की की जाकर उक्त पांचो पेड खजूर के मौके से हटा दिये गये है किन्तु इसके बावजूद भी प्रार्थी को केवल मात्र दो ही पेडो की मुआव[illegible] है शेष अवाप्तशुदा तीन खजूर के पेडो की मुआवजा राशि प्रार्थी को आज दिन रो[illegible]दा नही की गई है जिसे प्राप्त करने का प्रार्थी कानूनन अधिकारी है। [illegible] का अधिकारी है तथा भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्[illegible] में से शेष तीन [illegible]के पेडो की मुआवजा राशि नियमानुसार व कानून अनुसार अवा[illegible]जारी करवाने का अधि[illegible]। साथ ही प्रार्थी गरीब काश्तकार के खजूर के तीन पेडो का मुआवजा वास्तविक रूप से मिल सके। प्रार्थी को मालूम चलने पर एक प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां पेश किया जो भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पढकर वापस लौटा दिया कि आप अवार्ड राशि से संतुष्ट नही है तो

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:20:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करों हम आपकी कोई मदद नही कर सकते है इसलिए प्रार्थी के शेष अवाप्तशुदा 03 खजूर के पेडो की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी उपजिला कलेक्टर नांगल राजावतान को प्रार्थी के तीन खजूर के पेडो की मुआवजा राशि का निर्धारण नियमानुसार व कानून अनुसार किये जाने हेतु आदेश पारित किया जावे तथा अवार्ड आदेश जारी फरमाने हेतु निर्देश फरमाया जावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस में कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक संविधिक निकाय है जिसकों कि राष्ट्रीय राजमागों के विकास, प्रबन्ध रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जनसाधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 170.8 कि.मी. से 210 कि.मी. (दिल्ली बडौदरा ऐक्सप्रेस वे) तक के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि की अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनित किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 170.8 कि.मी. से 210 कि.मी. (दिल्ली बडौदरा ऐक्सप्रेस वे) का सड़क निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियाकें का प्रयोजन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 21.08.2018 जिसका प्रकाशन राजस्थान राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 09.09.2018 को किया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। 5. यह कि धारा 3 ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 डी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली बडौदरा ऐक्सप्रेस वे खण्ड के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 29. 11.2018 को जारी किया गया उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें कि भूमि खसरा नम्बर 301 ग्राम लाडली का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में अधिग्रहित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) एवं 3 (डी) के अन्तर्गत जो उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई उसके द्वारा खसरा नम्बर 301 ग्राम लाडली का बास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा खातेदार के नाम दर्ज थी जिसका मुआवजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:20:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

खातेदार को भूमि की किस्म की डी. एल. सी. के आधार पर कर दिया गया। उक्त धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थी की उक्त भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय–सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (जी) (3) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व सम्बन्धित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजा के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस पत्रिका एवं राष्ट्रदूत कर सम्बन्धित राष्ट्रदूत मे खातेदार/हितधारी व्यक्तियों से भूमि, संरचना के मुआवजे के सम्बन्ध में नोटिस के प्रकाशन से 21 दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी आपत्तियां उनके समक्ष प्रस्तुत की गई उनका निस्तारण करने के पश्चात् मुआवजे के सम्बन्ध में अपना अवार्ड पारित कर दिया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 15.02.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप–पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण, पेड आदि के मुआवजे का निर्धारण राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार किया गया । धारा 3 (एच) (1) के तहत आवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तिधीन भूमि की निर्धारित डी. एल. सी. दर के मुताबिक मुआवजा राशि निर्धारित की गई। अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना के दिनांक को बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) के संबंध में अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में उप पंजीयक अधिकारी की डी. एल. सी. दर के आधार पर मुआवजा निर्धारण किया गया। अधिकारिक रूप से डी. एल. सी. दर ही बाजार मूल्य मानी जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटैन्ट/पी.डब्ल्यू.डी. के इंजीनियर्स से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्यांकन कराया गया है, जो कि पूर्णतः सही व उचित है। अवाप्ताधीन भूमियों का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया गया:–"उप पंजीयकों से अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 ए की दिनांक की भूमि मार्केट वैल्यू (डी. एल.सी. की वैल्यू) एंव पेडो की वेल्यू जो कि उप–पंजीयक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई थी व उप–पंजीयक द्वारा भूमि मे जो पेड लेगे थे की जो दर राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट/हाईवे/अन्य सड़क से दूरी तथा सन्दर्भ में जो पेड की किस्म के अनुसार ही गई थी उसे अवाप्तशुदा पेड की कीमत मानते हुए निर्णय लिया गया। अवाप्ताधीन भूमि के निर्माणों (स्ट्रक्चर) के सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.डी. की बी.एस.आर. (बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट) के आधार पर स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन करवाकर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी।" सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भूमि एंव उसमे लगे पेडो की जो दर राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सडक एवं सडक से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:20:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

दूरी के संदर्भ में जो भूमि एंव पेडो की कीमत भूमि पेडो की किस्म के अनुसार दी गई थी उसे ही अवाप्तशुदा भूमि/पेडों की कीमत माने जाने का निर्णय लिया जाकर भूमि/पेडो का मुआवजा निर्धारित किया गया है जो कि विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सही व उचित किया गया है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जिस ग्राम की जो दर दी गई थी उसी के अनुसार उस गांव की भूमि/पेडो की दर निर्धारित की गई है। यहां यह लिखना भी उचित होगा कि पेडो की दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है व दर निर्धारित करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक पेडो की उपयोगिता, उसकी भौगोलिक स्थिति, बाजार भाव का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेडो के बाजार भाव का आंकलन सम्बन्धित अधिकारी महोदय से प्राप्त भाव, मौके पर पेडो की स्थिति व उपयोगिता आदि का पूर्ण ध्यान रखते हुए ही मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है एंव मौके पर जो पेड मौजूद थे, उसकी अनुसार राशि का निर्धारण किया गया, जो कि विधि के अनुसार पूर्णतया सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित पेडो का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटेन्ट/पी.डब्ल्यू.डी. के इंजीनियर्स से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक तरीके से राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट (बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्यांकन कराया जाता है। जो कि पूर्णतः सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर लगे पेडो की राशि का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त रेटों के आधार पर निर्धारित किया जाता है व उसी के अनुसार मुआवजा दिया जाता है, जो पूर्णतः सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप–पंजीयक कार्यालय से प्राप्त रेटों के अनुसार भूमि के संबंध में प्रचलित डी. एल. सी. के अनुसार भूमि के संबंध में प्रचलित डी. एल. सी. रेट्स को आधार माना गया है तथा मुआवजे की गणना गजट नोटिफिकेशन अन्तर्गत धारा 3 ए के समय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की किस्म के आधार पर की गई है तथा यदि किसी व्यक्ति ने बिना भूमि के रूपान्तरण के भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजे की दर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की किस्म की दर के हिसाब से ही दी गई है, जो कि पूर्णतः सही व उचित है। राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी के अनुसार जिसके नाम अवाप्तशुदा भूमि एंव लगे पेडो की जो किस्म दर्ज थी उसी के आधार पर एवं उसी के हक में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है, जो कि पूर्णतया न्यायोचित एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप है तथा प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य किसी दर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण की तरह अन्य समान प्रकरण विभिन्न अन्य न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिसमें कि सभी न्यायालयों द्वारा निर्णत पारित कर विपक्षी द्वारा तय किये गये मुआवजे तथा मुआवजे के निर्धारण जो कि उपरोक्तानुसार किया गया था को सही मानते हुए उक्त प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया तथा यह निर्णित किया कि विपक्षी द्वारा जो भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. दरों के आधार पर निर्धारित किया गया तथा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटेन्स से प्राप्त सर्वे एवं जांच रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है, जो कि पूर्णतः सही व उचित है तथा उक्त डी.एल.सी. के आधार पर भूमि के मुआवजा निर्धारण के आधार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सही माना गया है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की [illegible] उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का [illegible] रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। [illegible] तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम [illegible] अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नि[illegible]नुसार निर्धारित किया गया है। जो विधि सम्मत् एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहन की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है। अवाप्तशुदा भूमि की जो मुआवजा राशि निर्धारित की गई है वह

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:20:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निर्धारित की गई है, प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थी की भूमि पर स्थित पेडों का भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा विधिवत रूप से अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत एन.एच. 148 एन निर्माण में तहसील नांगल राजावतान के राजस्व ग्राम लाहडी का बास स्थित भूमि खसरा नंबर 301 में से भूमि अवाप्त की गई थी। भारतमाला परियोजना के तहत अवाप्त भूमि, संरचना व पेडों का मुआवजा निर्धारण एन.एच.ए. आई. के प्रतिनिधि, राजस्व विभाग की टीम, उधान विभाग, वन विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वे किये जाने के उपरांत खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अवार्ड तैयार कर मुआवजा राशि का निर्धारण करते हुए अवार्ड जारी किया गया है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान ने प्रार्थी की भूमि वाके ग्राम लाहडी का बास के खसरा नंबर 301 में स्थित खजूर के दो पेडों एन.आर.एफ.टी. 1184 व 1185 खजूर के दो पेडों की राशि 25612/-रू0 एवं उस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम 25612/- कुल 51224/-रू0 का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित शेष तीन पेडो का कोई मुआवजा न तो निर्धारित किया गया है और ना ही प्रार्थी को अदा किया गया है। परन्तु इस तथ्य के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी के 05 खजूर के पेड थे। प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे हम निराधार होने से खारिज किये जाने योग्य समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 301 पर पारित मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:18 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official